

उ0प्र0 पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो—अनुसंधान संस्थान, मथुरा के कुलपति / शिक्षकों के वेतनमान का पुनरीक्षण प्रस्ताव अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो—अनुसंधान संस्थान, मथुरा में कार्यरत कुलपति/शिक्षकों के सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वेतनमान का पुनरीक्षण किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश पशुधन संख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान से सम्बन्धित शिक्षा के संवर्धन और उन्नयन के लिए उ0प्र0 पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो—अनुसंधान संस्थान, मथुरा की स्थापना दिनांक 25 अक्टूबर, 2001 को की गयी। छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से विश्वविद्यालय में कार्यरत कुलपति/शिक्षकों के सम्बन्ध में लागू किया गया है।

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन पुनरीक्षण योजना का लाभ केन्द्रीय सरकार के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं समकक्ष संवर्गों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कार्यरत वैज्ञानिकों एवं निदेशकों तथा प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं समकक्ष संवर्गों को अनुमन्य कराए जाने के दृष्टिगत कुलपति, उ0प्र0 पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो—अनुसंधान संस्थान, मथुरा द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों (कुलपति सहित) को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में वेतन पुनरीक्षण विषयक शासनादेश निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया।

सातवाँ केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन पुनरीक्षण योजना का लाभ उ0प्र0 पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो—अनुसंधान संस्थान, मथुरा द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों (कुलपति सहित) को अनुमन्य कराए जाने से उनका मनोबल बढ़ेगा और उनके द्वारा पूरे मनोयोग से अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। इससे नवीन शोधों एवं नवाचारों की सम्भावना प्रबल होगी तथा पशु चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम खुलेंगे। इसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ छात्रों, शोधार्थियों एवं जनसामान्य को प्राप्त होगा।

प्रस्तावित शासनादेश निर्गत होने से उ0प्र0 पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो—अनुसंधान संस्थान, मथुरा में कार्यरत कर्मचारियों को सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन पुनरीक्षण योजना के लाभ का अवसर प्राप्त होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तथा सकारात्मकता एवं सृजनात्मकता बढ़ेगी।